न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>प्रकरण संख्या– 08/2022</u>

1. प्रदीपकुमार पुत्र हरफूलसिंह जाति जाट साकिन रेजड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.)

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–असल रेस्पोडेन्ट–

2. राजेशकुमार पुत्र हरफूलसिंह जाति जाट साकिन रेजड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.)
3. अनिलकुमार पुत्र हरफूलसिंह जाति, जाट साकिन रेजड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.)।
4. राजेन्द्रकुमार पुत्र हरफूलसिंह जाति जाट साकिन रेंगड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.)।

–तरतीबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

<u>निर्णय</u> दिनांक– 19/02/2024

अपीलांट प्रदीपकुमार पुत्र हरफूलसिंह जाति जाट साकिन रेजड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.) द्वारा विरूद्व निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) भादरा दिनांक 23.09.2021 प्रकरण संख्या 28 सन् 2021 जिसमें वसीयत के मुताबिक इंतकाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया को, निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाने बाबत् अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. देवीसिंह पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन रेजड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.) ने जरिये बैयनामा दिनांक 24.03.2006 को रोही ग्राम शेरड़ा तहसील भादरा के ख.न. 198, 207, 480 498, 673, 685, 687, 689 कुल 30.249 हैक्टेयर भूमि में से 4.300 हैक्टेयर भूमि खरीद की थी। जिसकी अपने जीवन काल में ही एक वसीयत दिनांक 06.02.2007 को उप पंजियक भादरा की अदालत में अपने सगे भाई के लड़को

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपीलान्ट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस नं. 2 ता 4 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी। देवीसिंह पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन रेजड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.) का दिनांक 26.11.2020 को देहांत हो गया। इसलिए बाद देहांत देवीसिंह पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन रेजड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राज.) अपीलान्ट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस न. 2 ता 4 विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हुए। इसलिए अपीलान्ट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस न. 2 ता 4 ने मुताबिक वसीयत दिनांक 06.02.2007 के आधार पर विवादित भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के लिए तहसीलदार (भू.अ.) भादरा की अदालत में एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जो बाद सुनवाई दिनांक 23.09.2021 को प्रार्थना खारिज कर दिया गया, जो कि मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ निर्णय किया है,जो निरस्त योग्य है।

2. मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनी स्थिति का गहन अवलोकन नहीं किया। कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत किसी के पक्ष में की जा सकती है ना ही उपनिवेशन अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि राजस्थान के काश्तकार द्वारा हरियाणा के व्यक्ति को वसीयत नहीं की जा सकती। उसके वाबजूद भी विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

3. अपीलान्ट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस नं. 2 ता 4 ने मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने के लिये पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गयी। जिस पर पटवारी हल्का रिपोर्ट में दर्ज किया है कि विवादित भूमि वसीयत कर्ता की स्वअर्जित भूमि है एवं किसी प्रकार का विवाद व स्थगन आदेश नहीं है एवं साक्ष्य में वसीयत के गवाहों के बयान करवाये, जिससे प्रार्थना पत्र के तथ्यों को भलीभाति साबित किया उसके वाबजूद भी मातहत अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में एक अहम भूल की है। जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

4. मातहत अदालत में विवादित भूमि एवं वसीयत बाबत् कोई आपति प्रस्तुत नहीं हुई कानूनी स्थिति के मुताबिक जहां स्वीकृति हो, वहां स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिये था। मातहत अदालत ऐसा नहीं कर विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:07 IST
Reason: SelfAttested

5. मातहत अदालत ने अपने निर्णय में दर्ज [illegible] है [illegible] विवादित भूमि की वसीयत राजस्थान के काश्तकार [illegible] हरियाणा के व्यक्ति [illegible] की गई है, जो उपनिवेशन अधिनियम के तहत अवैध हस्तान्तरण का प्रकरण लगता है। उक्त तथ्यों को आधार मानकर निर्णय किया है जबकि कानूनी स्थिति के मुताबिक वसीयत, वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा है, जो अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि की किसी के भी पक्ष में वसीयत कर सकता है। वसीयत पर किसी भी पक्षकार को कोई आपति नहीं है। इसलिये

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

मुताबिक वसीयत विवादित भूमि को अपीलान्ट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस न. 2 ता 4 के नाम अमल दरामद करने का आदेश जारी करना चाहिये था। उसके वाबजूद भी मातहत अदालत ने बिना किसी ठोस आधार के सम्भावना के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, इसलिये मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

6. अपीलांट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस न. 2 ता 4 को पत्रावली में तारीख पेशी नहीं दी गई थी साक्ष्य पेश होने के बाद गुपचुप तरीके से दिनांक 23.09.2021 को निर्णय कर दिया लेकिन अपीलांट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस नं. 2 ता 4 ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसे कानूनी प्रकिया की कोई जानकारी नहीं है। दिनांक 28.01.2022 को तहसील में पत्रावली की जानकारी प्राप्त की तो निर्णय होने की जानकारी हुई उसी समय नकल प्राप्त कर दिनांक 28.01.2022 को वकील से सम्पर्क किया और आज बिना किसी देरी के तुरन्त अपील पेश की जा रही है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 23.09.2021 निरस्त कर प्रार्थना पत्र अपीलांट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस न. 2 ता 4 स्वीकार कर विवादित भूमि मुताबिक वसीयत दिनांक 06.02.2007 के आधार पर अपीलांट एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस नं. 2 ता 4 के नाम इन्तकाल दर्ज करने का आदेश तहसीलदार (भू.अ.) भादरा को फरमावें।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 को तर्क किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमनें अपीलांट की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करनें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि उभयपक्ष को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 19.2.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:53:07 IST
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)